निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 श्रावण 1948 (श0)

संख्या 32 **पटना, बुधवार,**

12 अगस्त 2026(ई0)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन,बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	**02-09**
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	---
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4—बिहार अधिनियम	---
भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9—विज्ञापन	---
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	**10-17**
पूरक	---
पूरक-क	---

भाग–1

नियुक्ति, पदस्थापन,बदली, शक्ति, छुट्‌टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

अधिसूचना
3 अगस्त 2026

सं0 7/बि0पु0ह0–202/2010 ग0आ0–9526––बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा–55 एवं धारा–94 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बिहार राज्यपाल, बिहार पुलिस हस्तक खण्ड–1 के नियम 1150 एवं 1151 (ख) को तुरंत के प्रभाव से निम्न् संशोधन करते हैं :–

(1) बिहार पुलिस हस्तक खंड–1 के नियम 1150 एवं 1151 (ख) में संशोधन करते हुए यह प्रावधान किया जाता है कि किसी एक विभागीय भवन या भवन समूह/आवासीय या गैर आवासीय भवनों के सन्निर्माण एवं पुनः सन्निर्माण या संरचनात्मक हेरफेर के लिए ₹10,00,000/– (दस लाख रुपये) लागत तक की परियोजना की स्वीकृति देने हेतु पुलिस महानिदेशक, बिहार को प्राधिकृत किया जाता है।

(2) क्षेत्रीय कार्यालयों के आवासीय अथवा गैर आवासीय के लिए क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप–महानिरीक्षक को ₹ 2,50,000/–(दो लाख पचास हजार रूपये) लागत तक की परियोजना की स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

(3) ₹10,00,000/– (दस लाख रुपये) से अधिक लागत की परियोजनाओं की स्वीकृति की शक्ति सरकार में निहित होंगी तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए ₹2,50,000 (दो लाख पचास हजार रुपये) से अधिक लागत की परियोजनाओं के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को प्राधिकृत किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अमलेन्दु कुमार सिंह, संयुक्त सचिव।

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचनाएं
3 अगस्त 2026

संख्या–7/शक्ति प्र0–13–02/2025 सा0प्र0 **13867**––भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार–राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ–2 में उल्लेखित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ में अंकित विवरणी के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं। उक्त कार्मिकों को दरभंगा, अरवल एवं पटना जिला में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (46, 2023) की संगत धारा के अंतर्गत विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने की घटनोत्तर एवं वर्तमान अवधि की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

अनुसूची

क्र0 स0	**कार्मिक का नाम एवं पद नाम**	**भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा, जिसके तहत शक्ति प्रदान की गयी है**	**तिथि/अवधि**	**प्रयोजन**	**दण्डाधिकारी (विशेष कार्यपालक/ कार्यपालक)**	**जिला का नाम**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स0स0)–सह–जिला पदाधिकारी, दरभंगा के पत्रांक–5504/सी0 दिनांक 26.07.2026 के साथ संलग्न सूची में अंकित कार्मिक।	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा–15	पैक्स निर्वाचन, 2026 मतदान कार्य हेतु दिनांक 29.07.2026 के लिए	विधि व्यवस्था	विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी	दरभंगा

2	जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स0स0)–सह–जिला पदाधिकारी, अरवल के पत्रांक–514/स्था0 दिनांक 27.07.2026 के साथ संलग्न सूची में अंकित कार्मिक।	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा–15	पैक्स निर्वाचन, 2026 मतदान कार्य हेतु	विधि व्यवस्था	विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी	अरवल
3	जिला निर्वाचन पदाधिकारी –सह–जिला पदाधिकारी, पटना के पत्रांक–123 दिनांक 27.07.2026 के साथ संलग्न सूची में अंकित कार्मिक।	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा–15	बिहार विधानसभा उप निर्वाचन, 2026 मतदान कार्य हेतु दिनांक 29.07.2026 से 30.07.2026 तक के लिए	विधि व्यवस्था	विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी	पटना

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सुनील कुमार तिवारी, अवर सचिव।

––––––

31 जुलाई 2026

सं0 7/शक्ति प्र0–13–02/2025 सा0प्र0 **13978**––भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार–राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ–2 में उल्लेखित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ में अंकित विवरणी के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं। उक्त कार्मिकों को पटना जिला में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (46, 2023) की संगत धारा के अंतर्गत विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

अनुसूची

क्र0 स0	**कार्मिक का नाम एवं पद नाम**	**भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा, जिसके तहत शक्ति प्रदान की गयी है**	**तिथि/अवधि**	**प्रयोजन**	**दण्डाधिकारी (विशेष कार्यपालक/ कार्यपालक)**	**जिला का नाम**
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
1	जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी, पटना के पत्रांक–2159 दिनांक 28.07.2026 के साथ संलग्न सूची में अंकित कार्मिक।	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा–15	बिहार विधान सभा उप निर्वाचन, 2026 मतदान कार्य हेतु	बिहार विधान सभा उप निर्वाचन, 2026	विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी	पटना

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सुनील कुमार तिवारी, अवर सचिव।

––––––

निर्वाचन विभाग

––––––

अधिसूचनाएं

6 अगस्त 2026

सं० सं० ई2–2–34/2010–**51**––श्री लाल बहादुर राय, उप निर्वाचन पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण (HRMS-Employee Id-10681585) को निजी कार्य हेतु बिहार सेवा संहिता के नियम–227, 240 एवं 248 (यथा संशोधित) में निहित प्रावधानों के अधीन एवं वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक– 791(23) दिनांक 26.05.2026 से प्राप्त आदेयता के आलोक में दिनांक 20.04.2026 से 10.06.2026 तक उनके द्वारा उपभोगित कुल 52 (बावन) दिनों के उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त उपार्जित अवकाश की स्वीकृति के पश्चात दिनांक 19.04.2026 तक 300-52=**248** दिन शेष रहेगी।

2. इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
माधव कुमार सिंह, अपर सचिव–सह–अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी।

———————

6 अगस्त 2026

सं० I/476475--श्रीमती शशि रंजन, अवर निर्वाचन पदाधिकारी, पालीगंज, पटना (HRMS Employee ID-30052769) का प्रथम संतान हेतु वित्त विभाग के पत्रांक–9889 दिनांक 01.12.2015 में निहित प्रावधानों के अधीन एवं वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक– PCFC/ELECTION/BELS/2022/0136 **1068 (23)** दिनांक 09.07.2026 से प्राप्त आदेयता के आलोक में दिनांक 16.07.2026 से 11.01.2027 तक कुल 180 (एक सौ अस्सी) दिनों के मातृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

2. इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
माधव कुमार सिंह, अपर सचिव–सह–अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी।

———————

6 अगस्त 2026

सं० I/476480--श्रीमती प्रियदर्शी पाल, अवर निर्वाचन पदाधिकारी (मुख्यालय) (HRMS-Employee Id-30049553) को निजी कार्य से अपने घर ओड़िषा जाने हेतु बिहार सेवा संहिता के नियम–227, 240 एवं 248 (यथा संशोधित) में निहित प्रावधानों के अधीन एवं वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक– 388(23) दिनांक 09.03.2026 एवं 921(23) दिनांक 30.06.2025 से प्राप्त आदेयता के आलोक में दिनांक 13.05.2026 से 14.06.2026 तक उनके द्वारा उपभोगित कुल 33 (तैंतीस) दिनों के उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त उपार्जित अवकाश की स्वीकृति के पश्चात दिनांक 04.05.2025 तक **52-33=19** दिन शेष रहेगी।

2. इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
माधव कुमार सिंह, अपर सचिव–सह–अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी।

———————

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति

———————

अधिसूचना
24 जुलाई 2026

सं० BSEB(SS)Coll-Estab/939/D-2006--बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से सम्बद्ध माध्यमिक/उच्च माध्यमिक (+2 महाविद्यालय) के कर्मियों की सेवाशर्त से संबंधित मार्गदर्शिका, 2017 में संशोधन पर प्रशासी विभाग से अनुमोदन प्राप्त हो चुका है, को निदेशक (मा०शि०) के पत्रांक–1166, दिनांक–24.07.2026 के आलोक में सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, सचिव।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबद्ध माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय (+2 महाविद्यालय) के कर्मियों की सेवाशर्त से संबंधित मार्गदर्शिका, 2017 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित मार्गदर्शिका बनाते है।

1. **संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारंभः–**
   (i) यह "मार्गदर्शिका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबद्ध माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय (+2 महाविद्यालय) के कर्मियों की सेवाशर्त से संबंधित (संशोधन) मार्गदर्शिका 2026" के रूप में जाना जायेगा।
   (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
   (iii) यह विभागीय राजपत्र में अधिसूचित होने की तिथि से प्रवृत्त होगा।
2. **मार्गदर्शिका की कंडिका–3 के उपकंडिका (III)(ii) में संशोधन :–**
   कंडिका–3 के उपकंडिका (III)(ii) के अंत में विहित ''जन्म तिथि समान होने की स्थिति में नाम के पहले अक्षर के आधार पर तय किया जायेगा'' के स्थान पर ''**जन्म तिथि समान होने की स्थिति में अँग्रेजी नाम के पहले अक्षर के आधार पर तय किया जायेगा।** '' द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।
3. **मार्गदर्शिका की कंडिका–4 की उपकंडिका (ख) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः–**
   (ख) माध्यमिक विद्यालयों हेतु–प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक सहित कम से कम 09 स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक (टी0जी0टी0) होंगे–भाषा (दो शिक्षक), गणित (एक शिक्षक), प्राकृतिक विज्ञान (2 शिक्षक)–भौतिकी/रसायन शास्त्र–1, जीव विज्ञान–1, सामाजिक विज्ञान–(एक शिक्षक), शारीरिक शिक्षा (एक शिक्षक), एवं कला (एक शिक्षक)। प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में 5 शिक्षकेत्तर कर्मी (तकनीकि) होना चाहिए, जिनमें

प्रयोगशाला तकनीशियन (तीन), कम्प्यूटर सहायक (एक) एवं पुस्तकालयाध्यक्ष (एक) सम्मिलित होगें। प्रशासनिक कार्य हेतु प्रत्येक विद्यालय में 6 शिक्षकेत्तर कर्मी (अन्य) सदस्य–कार्यालय सहायक–(दो) केयर टेकर–(एक), ऑफिस एटेंडेंट–(दो) तथा गार्ड (एक) होंगे।

4. **मार्गर्शिका की कंडिका–4 की उपकंडिका (ग) को निम्नलिखित द्वारा संख्यांकित करते हुए प्रतिस्थापित किया जायेगाः–**

(ग) **पूर्व परिशद् (निरसित) से प्रस्वीकृत/अनुशंसित/स्थापना अनुज्ञा प्राप्त इन्टर महाविद्यालयों के लिएः–(i)** परिषद् (निरसित) से प्रस्वीकृत प्राप्त इंटर महाविद्यालयों के लिए वर्ष–1994 में राज्य सरकार के निदेशानुसार परिषद् निरसित से निर्गत अधिसूचना के आलोक में प्रत्येक महाविद्यालय में प्रधानाचार्य के लिए एक पद के अतिरिक्त कला एवं विज्ञान में प्रत्येक प्रस्वीकृति प्राप्त विषयों में शिक्षक के एक–एक पद वाणिज्य में दो पद तथा अधिसूचना में शिक्षकेत्तर कर्मियों के विहित पदों के अनुरूप तृतीय वर्गीय कर्मियों के लिए कुल सात (07) पद तथा चतुर्थवर्गीय कर्मियों के लिए कुल आठ (08) पद स्वीकृत माने जायेंगे।यदि पूर्व में निर्गत निदेशों या छात्र संख्या बल के आधार पर किसी इंटर महाविद्यालय में यदि कला एवं विज्ञान के प्रस्वीकृति प्राप्त विषयों में शिक्षक द्वितीय पद पर निरसन के पूर्व से नियुक्त हैं, तो पूर्व से नियुक्त शिक्षकों के द्वितीय पद को भी स्वीकृत माना जायेगा। जिन 8 विषयों को विलोपित करते हुए मूल विषय में समाहित राज्य सरकार के निदेशानुसार किया गया है, उन मूल विषय में यदि पूर्व से दो शिक्षक नियुक्त हैं, तो उस मूल विषय में तीसरे पद को भी स्वीकृत माना जायेगा जिसपर विलोपित विषय के शिक्षक सामंजित होगें, परन्तु उनके सेवानिवृति के साथ ही उस तीसरे पद को विलोपित माना जायेगा।

(ii) परिषद् (निरसित) से प्रस्वीकृति प्राप्त ऐसे विषय जिनमें प्रायोगिक परीक्षा ली जाती है, में प्रति प्रस्वीकृति विषय के लिए एक प्रयोगशाला तकनीशियन का पद स्वीकृत माना जाएगा। उच्च माध्यमिक स्तर पर वर्तमान में चल रहे पाठ्यक्रम में विषयों की संख्या कम कर दी गयी है, परन्तु वर्तमान में छात्रों की संख्या बल में वृद्धि होते जा रही हैं। इंटर महाविद्यालय में पूर्व से नियुक्त शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मी एवं उनके पद का सामंजन वर्तमान में चल रहे पाठ्यक्रम के विषय में विषयानुसार माना जाएगा।

(iii) उपर्युक्त खंड–(i) एवं (ii) में विहित शर्तो के अधीन बिहार इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद् निरसित होने के पूर्व शासी निकाय/प्रबंध समिति/तदर्थ प्रबंध समिति द्वारा विभिन्न विषयों में द्वितीय एवं तृतीय पदों पर नियुक्त शिक्षक तथा प्रयोगशाला तकनीशियन वितरहित शिक्षा नीति की समाप्ति के उपरांत परीक्षफल आधारित अनुदान की स्वीकृति के अनुसार अनुदान प्रारंभ की तिथि/सत्र से अनुदान पाने के हकदार होगें।

परंतु, इसके फलस्वरूप राज्य सरकार को किसी प्रकार की अतिरिक्त वित्तीय देनदारी/देयता नहीं होगी।

(iv) पूर्व से स्वीकृत पदों एवं निरसन के पूर्व से कार्यरत शिक्षकों की संख्या के आकलन के आधार पर छात्र संख्या के अनुरूप विषय विशेष में अतिरिक्त पद सृजन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की सहमति प्राप्त करते हुए किया जा सकेगा।जिन प्रस्वीकृत महाविद्यालय/उच्च माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में किसी विषय में छात्र लगातार तीन वर्षों तक न्यून है, उस संस्था में उस विषय को विलोपित करते हुए पद स्वतः समाप्त समझा जाएगा।

5. **मार्गदर्शिका की कंडिका–6 के अंत में निम्नवत एक परंतुक अंतःस्थापित किया जायेगाः–**

परंतु यह कि ऐसी प्रोन्नति उस शैक्षिक संस्थान की शासी निकाय/प्रबंध समिति/तदर्थ प्रबंध समिति द्वारा सम्यक विचारोपरांत की जा सकेगी।

6. **मार्गदर्शिका की कंडिका–9 की उपकंडिका (ड़) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः–**

(ड़) प्रत्येक संवर्ग में 4% पदों को दिव्यांग द्वारा राज्य सरकार में विहित प्रावधान के अनुसार भरा जायेगा।

7. **मार्गदर्शिका की कंडिका–15 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः–**

15. सेवानिवृति।–इस मार्गदर्शिका में किसी बात के होने पर भी या अन्यथा संस्था के प्रधान सहित प्रत्येक कर्मी समय–समय पर सरकार द्वारा विहित सेवानिवृति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत होगा। वर्तमान में सेवानिवृति की उम्र राज्य सरकार के समरूप पदो के अनुरूप 60 वर्ष होगी।किसी भी परिस्थिति में 60 वर्ष की सेवानिवृति के उपरांत संस्था के प्रधान सहित अन्य कर्मियों को शासी निकाय एवं प्रबंध समिति/तदर्थ प्रबंध समिति द्वारा पुनर्नियुक्ति/सेवाविस्तार नहीं की जायेगी।

8. **मार्गदर्शिका की कंडिका–27 की उपकंडिका–2 के बाद कंडिका 2 (क) अंतःस्थापित किया जायेगा :–**

(2)(क):–न्यास/सोसायटी/शासी निकाय/तदर्थ प्रबंध समिति के किसी आदेश द्वारा उस शैक्षिक संस्थान का कोई कर्मी कारा निरोध की तिथि से, यदि वह या तो आपराधिक आरोप पर या अन्यथा 48 घंटे से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरूद्ध किया गया हो, निलंबित किया गया समझा जायेगा;

परन्तु यह भी कि कारावास अवधि के बाद उस कर्मी के द्वारा योगदान किये जाने पर निलंबित समझे जाने की अवधि समाप्त समझी जायेगी और योगदान स्वीकार किया जायेगा।

9. **मार्गदर्शिका की कंडिका–32 की उपकंडिका 1 (iii) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः–**

1(iii) मान्यता प्राप्त उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय में न्यनतम 8 वर्ष का शिक्षण अनुभव।

10. **मार्गदर्शिका की कंडिका–36 की उपकंडिका (ड़) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः–**

(ड़) प्रत्येक संस्था का बैंक में दो खाता होंगे। एक खाता में अनुदान से प्राप्त राशि संचित की जायगी, एवं दूसरे खाता में आंतरिक स्रोत से प्राप्त राशि एवं अन्य मद से प्राप्त राशि संचित की जाएगी। दोनों खाता का संचालन प्राचार्य–सह–सचिव एवं एक वरीयतम शिक्षक जो प्राचार्य का संबंधी नहीं हो, द्वारा किया जायेगा। संस्था में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता होने पर पूर्ण जिम्मेवारी प्राचार्य–सह–सचिव एवं संबंधित वरीयतम शिक्षक (खाता संचालन हेतु नामित) की होगी। समिति द्वारा उपलब्ध करायी गयी अनुदान की राशि के वितरण के निमित्त खाता संचालन हेतु निर्गत विभागीय संकल्प संख्या– 381 दिनांक– 09.03.2010 एवं समिति द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेश भी यथासमय अनुमान्य समझे जायेंगे। सभी व्यय प्रबंध समिति/तदर्थ समिति के अनुमोदन से किये जायेंगे। प्रत्येक वर्ष आय–व्यय का ऑडिट किया हुआ विवरणी बोर्ड में भेजना आवश्यक होगा।

आदेश से,
(ह०), अस्पष्ट, सचिव।

The 24th July 2026

The following guidelines are formulated to amend the 2017 guidelines regarding the service conditions of personnel in secondary/higher secondary schools (+2 colleges) affiliated with the Bihar School Examination Board.

1. **Short title, extent and commencement: -**
   (i) These Guidelines may be called Guidelines (Amendment), 2026 in connection with the conditions of service of employees of Secondary / Senior Secondary Schools (+2 Colleges) affiliated by Bihar School Examination Board.
   (ii) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
   (iii) It shall come into force from the date of its notification in the Official Gazette.
2. **Amendment in Sub Clause (iii) (ii) of Clause 3 of the Guidelines:-**
   The provision "in the event of identical dates of birth, the decision shall be based on the first letter of the name," prescribed at the end of Sub-clause (iii)(ii) of Clause 3, shall be substituted with "in the event of identical dates of birth, the decision shall be based on the first letter of the name in English."
3. **Sub Clause- (b) of clause 4 of the Guidelines shall be substituted by the following: -**
   (b) For Secondary Schools- Each Secondary school shall have at least 09 Graduate Trained Teachers (T.G.T.) including the Principal - Language (two teachers), Mathematics (one teacher), Natural Science (two teachers), Physics/Chemistry (one teacher), Biology (one teacher), Social Science (one teacher), Physical Education (one teacher) and Arts (one teacher). Each Secondary School should have 5 non-teaching staff (technical), which shall include Laboratory Technicians (three), Computer Assistant (one), and Librarian (one). For administrative work, each school shall have 6 non-teaching staff (other) members- Office Assistant - (two), Caretaker - (one), Office Attendant - (two) and Guard - (one).
4. **Sub Clause- (c) of clause 4 of the Guidelines shall be substituted by the following: -**
   (c)For Intermediate Colleges with recognition / recommendation / permitted to establish by the erstwhile Council (dissolved): - (i) For Intermediate colleges recognized by the Council as per directions of the State Government issued in the year 1994,in view of notification issued by the Council (dissolved), each college in addition to one post of Principal, shall have one post of teacher each in every approved subject of Arts and Science, two posts in Commerce and as per the posts prescribed for non-

teaching staff in the notification, a total of seven (07) posts for Class – III employees and a total of eight (08) posts for Class-IV employees shall be considered as sanctioned posts. If in any Intermediate college, teacher has earlier been appointed on second post in approved subjects of Arts and Science on the basis of directions issued earlier or on the basis of strength of students, before repealing, then the second post on which teacher had been appointed earlier shall also be considered as sanctioned post. If two teachers are already appointed in the basic subject in which eight subjects which had been deleted and merged in the basic subject by the direction of the State government, then the third post of the basic subject on which the teacher of the deleted subject shall be adjusted, shall also be considered as sanctioned post however, the said third post shall be considered deleted upon their retirement.

(ii) In subjects recognized by the Council (dissolved) where practical examinations are conducted, one post of Laboratory Technician shall be considered sanctioned for each recognized subject. The number of subjects in the current Higher Secondary curriculum has been reduced however, student enrolment is continuously increasing presently. Teachers / non-teaching employees previously appointed in Intermediate Colleges and their posts shall be adjusted subject-wise in accordance with the subjects presently included in the curriculum.

(iii) Subject to the conditions prescribed in clause (i) and (ii) above mentioned, the teachers appointed against second and third posts in various subjects and the Laboratory Technicians, appointed by the Governing Body/Managing Committee / Ad-hoc Managing Committee prior to the dissolution of the Bihar Intermediate Education Council shall be entitled to receive grant from the date of commencement of grant / session as per the approval of result based grant after the abolition of Vittrahit Education Policy.

Provided that this shall not impose any additional financial liability or obligation upon the State Government.

(iv) Additional posts in a particular subject as per strength of students and based on assessment of the earlier sanctioned posts and the number of teachers working before dissolution may be sanctioned upon obtaining the permission of the Bihar School Examination Board. In those approved Colleges / Secondary and Higher Secondary schools where the strength of students in any subject is deficient for three consecutive years, such subject shall be treated as abolished in that institution and the corresponding post shall automatically stand abolished.

5. At the end of Clause- 6 of the Guidelines, the following proviso shall be inserted: -

Provided that such promotion may be granted after due consideration by the Governing Body/Managing Committee/Ad-hoc Managing Committee of the concerned educational institution.

6. Sub Clause- (e) of clause 9 of the Guidelines shall be substituted by the following:-

(e) Four percent (4%) of the posts in each cadre shall be filled by persons with disabilities in accordance with the provisions prescribed by the State Government.

7. Clause - 15 of the Guidelines shall be substituted by the following:-

15. Retirement- Notwithstanding anything contained in these Guidelines, every employee, including the Head of the Institution, shall retire upon attaining the age of superannuation as prescribed by the Government from time-to-time. At present, the age of retirement shall be 60 years, in accordance with State Government for equivalent

posts. Under no circumstance shall the Head of the Institution or any other employee be reappointed or granted extension of service after retirement upon attaining the age of 60 years by the Governing Body, and Managing Committee / Ad hoc Managing Committee.

8. At the end of Sub Clause- 2 of Clause-27 of the Guidelines, Sub Clause-2 (a) shall be inserted: -

(2) (a): Any employee of an educational institution shall be deemed to have been placed under suspension from the date of his detention if he is taken into custody, in connection with a criminal charge or otherwise, for a period exceeding forty-eight (48) hours pursuant to an direction of a Trust, Society, Governing Body / Ad hoc Managing Committee.

Provided that upon release from custody and resumption of duties by such employee, the period of deemed suspension shall come to an end and the employee's joining shall be accepted.

9. Sub Clause- 1 (iii) of clause 32 of the Guidelines shall be substituted by the following:-

1 (iii)A minimum of 8 years' teaching experience in a recognized Higher Secondary School / Secondary School.

10. Sub Clause- (e) of Clause 36 of the Guidelines shall be substituted by the following:-

(e) Every institution shall maintain two bank accounts. One account shall hold funds received by way of Government grant-in-aid, and the other account shall be used for funds generated from internal sources and receipts from other heads. Both accounts shall be operated by the Principal-cum-Secretary, and one senior-most teacher, who shall not be a relative of the Principal. The Principal-cum-Secretary and the concerned senior-most teacher (nominated for such operation) shall be wholly responsible for any financial irregularities in the institution. Departmental Circular No. 381 dated 09.03.2010 and such other directions issued from time-to-time by the Committee regarding the manner of operation of bank account for disbursement of grant made available by the Committee shall be considered applicable at the relevant time. All expenditures shall be incurred with the approval of the Managing Committee/ Ad-hoc Managing Committee. It shall be mandatory to send an audited statement of annual income and expenditure to the Board every year.

Order by,
Sd/-Illegible, Secretary.

Office of The Commissioner, Magadh Division, Gaya Ji

Office Order
29th July 2026

No. XI-K-रा0-05/2024-133--In the light of proposal received from District Magistrate, Nawada vide letter no.-325, dated- 24.07.2026 the power of certificate officer has been delegated to following officers for disposal of certificate cases u/s 3(3) of Bihar & Orrisa Public Demand Recovery Act. 1914.

Sl. No.	Officers Name	Designation	Remarks
01	Md. Shere Afgan Khan	Assistant Disaster Management Officer, Nawada.	District Level
02	Sri Rajeev Ranjan	District Welfare Officer, Nawada	District Level
03	Sri Sushil Kumar Suman	Deputy Commissioner, State Tax, Nawada	District Level
04	Md. Kausar Imam	DCLR, Rajauli	Sub Divisional
05	Miss Puja Sharma	Circle Officer, Narhat	Circle Level
06	Smt. Pushpanjali Kumari	Circle Officer, Govindpur	Circle Level
07	Miss. Niharika	Circle Officer, PakariBarawan	Circle Level
08	Smt. Juli Kumari	Circle Officer, Warisliganj	Circle Level
09	Miss. Garima Gitika	Circle Officer, Nawada Sadar	Circle Level
10	Sri Paramjeet Sirmaur	Circle Officer, Hisua	Circle Level
11	Sri Chandan Chaudhari	Circle Officer, Kauakol	Circle Level
12	Sri Ayush Chandrahas	Circle Officer, Kashichak	Circle Level
13	Sri Amlesh Kumar	Circle Officer, Meskaur	Circle Level
14	Sri Kaushal Kumar	Circle Officer, Roh	Circle Level
15	Sri Prem Anand Prasad	Circle Officer, Sirdala	Circle Level
16	Sri Duniya Lal Yadav	BDO, Nawada Sadar	Block Level
17	Sri Vijay Kumar	BDO, Kashichak	Block Level
18	Sri Amit Kumar	BDO, Sirdala	Block Level
19	Sri Ajay Kumar Singh	District Sub Registrar , Nawada	District Level

Order of Commissioner, Magadh Division, Gaya Ji dt 29.07.2026
Sd/-Illigible, Secretary to Commissioner.

———————

29th July 2026

No. XI-K-रा0-03/2024-134--In the light of proposal received from District Magistrate, Jehanabad vide letter No.-413, dated- 20.07.2026 the power of certificate officer has been delegated to following officers for disposal of certificate cases u/s 3(3) of Bihar & Orrisa Public Demand Recovery Act. 1914.

Sl. No.	Officers Name	Designation	Remarks
01	Sri NeelKamal	BDO, Jehanabad	Block Level
02	Sri Rajesh Kumar Dinkar	BDO, Makhdumpur	Block Level

Order of Commissioner, Magadh Division, Gaya Ji dt 29.07.2026
Sd/-Illigible, Secretary to Commissioner.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 21—571+10-डी0टी0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।

सूचना

No. 785--I, Shazia Shakil W/o Shakil Ahmad Ansari, R/o Anand Bazar, Near old A.S.P. office, Danapur Cantt, Patna Bihar-801503 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 1850 dt. 06.04.26 that my name is written in my all educational documents as Shazia Luquman. Where as in Aadhar card, Pan card, Voter Id my name is written as Shazia Shakil. Both names are same and one person. From now I shall be known as Shazia Shakil for all purposes.

Shazia Shakil.

सं० 786--मैं, किरण देवी खेमका, पत्नी गणेश कुमार खेमका, निवास-सरस्वती अपार्टमेंट, फ्लैट नंबर-46, बी ब्लॉक, एस.पी. वर्मा रोड, थाना-कोतवाली, जिला-पटना-800001, शपथ पत्र संख्या-250 तारीख 07.07.2026 के द्वारा यह घोषणा करती हूँ कि मेरा पुत्र केशव कुमार खेमका के दसवीं एवं बारहवीं कक्षा के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों एवं दस्तावेजों में मेरा नाम किरण खेमका (Kiran Khemka) दर्ज हो गया है, जो गलत है। मेरा सही नाम किरण देवी खेमका (Kiran Devi Khemka) है।

किरण देवी खेमका।

No. 787--I, Ajit Kumar, S/o Late Deo Prasad, R/o-Prasad Villa, Road No.-1C, Ashok Nagar, Kankarbagh, Patna-800020, do hereby declare that my son's name has been wrongly mentioned as 'AAYUSH SINGH' in the Birth Certificate/School records; his correct name is 'AYUSH SINGH' Affidavit.

No.:-985/18.04.26.

Ajit Kumar.

सं० 788--मैं, मुन्ना खा पिता राजेन्द्र खा, साकिन सिकरहटी वार्ड नं.-10, थाना-कुमारखण्ड जिला-मधेपुरा, बिहार शपथ पत्र सं. -3584 दि. 12.02.26 द्वारा सूचित करता हूं कि मेरे पुत्र दिव्यांशु कुमार के आधारकार्ड में भूलवश डिब्यासु कुमार अंकित हो गया है, जो गलत है। सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं कागजात के अनुसार उसका सही नाम दिव्यांशु कुमार है। आगे भविष्य में वह दिव्यांशु कुमार के नाम से ही जाना व पहचाना जायेगा।

मुन्ना खा।

No. 789--I, Pankaj Kumar Pandey, S/o- Late Ram Narayan Pandey, Permanent Resident of 206, Nehru Nagar, P.O.+P.S.- Patliputra, Dist- Patna, Bihar A/P-CI/22 D, City Centere, P.O.+P.S.- Sector-IV, Bokaro Steel City, Dist- Borako, Jharkhand do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. – 2669 dt. 30.06.26 that Pankaj Pandey and Pankaj Kumar Pandey is same and one person who popularly known as both the name. In some orginal documents my name has been written as Pankaj Pandey an Pankaj Kumar Pandey . From now I shall be known, Identified and referred as Pankaj Kumar Pandey for all purposes.

Pankaj Kumar Pandey.

No. 790—I, Pushpendra Kumar Pandey S/o Sri Narendra Kumar Pandey, R/o Village Bishunpura, Post Dolchhapra, P.S. Salempur, District Deoria, U.P. Pin No. 274509 and at present Flat No. 502, Saudagar Singh Brinda Residential Complex, Gewal Bigha, near Red Cross, Gaya Ji, Pin Code 823001, do nearby solemnly affirm and declared as per Affidavit No. 05, /28.07.2026 that I have successfully completed my Ph.D and I will be known as Dr. Pushpendra Kumar Pandey for all purposes."

Pushpendra Kumar Pandey.

सं० 791—मैं, जन्नती फिरदोस, उम्र करीब 18 वर्ष, पिता मो. साजिद आजमी, सा०- जामा मस्जिद के पास मधैली वार्ड नं0 -15 थाना - आलमनगर, जिला - मधेपुरा, बिहार का स्थायी निवासी हूं तथा मेरा आधार कार्ड संख्या - 3436 6617 8940 है। मेरी आधार कार्ड में मेरी नाम अंग्रेजी में JANNATI FIRDOS अंकित है, जो गलत है। मेरी शैक्षणिक प्रमाण पत्र में मेरी नाम अंग्रेजी में JANNTI FIRADOS अंकित है, जो सही है। श.प.सं.-566, दि-15.04.2026

जन्नती फिरदोस।

No. 792--I, SUJEET SHARMA, S/o- Kamleshwar Sharma, R/o- Vill- Vajitpur, Sarwan, Dist.- Arwal, Bihar- 804402. Do hereby solemnly affirm and declare that in my daughter's (RANI KUMARI) birth certificate as well as in her educational documents her name is mentioned as RANI KUMARI. But, in her Aadhar card her name mentioned as SHARMA RANI SUJIT. Here, both the names RANI KUMARI and SHARMA RANI SUJIT belong to the names of my same daughter. And, from now in her future she will be known as RANI KUMARI for all her legal purposes.

Affidavit no.-2840, Date:-16/05/2026

SUJEET SHARMA.

No. 793--I, SUJEET SHARMA, S/o- Kamleshwar Sharma, R/o- Vill- Vajitpur, Sarwan, Dist.- Arwal, Bihar- 804402. Do hereby solemnly affirm and declare that in my sons's (AASHISH KUMAR) birth certificate his name is mentioned as AASHISH KUMAR. But, in his Aadhar card as well as in his educational documents his name mentioned as SHARMA ASHISH SUJIT. Here, both the names belong to the names of my same son. And, from now in her future she will be known as AASHISH KUMAR for all her legal purposes.

Affidavit no.-2841, Date:-16/05/2026

SUJEET SHARMA.

No. 794--I, Raviraushani Kumari D/o Manoj Thakur, R/o Vill-Sundrapur, Kharauna, Ward Nc.-13, Sundrapur Kharauna. Sheohar, Bihar-843329 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 3538 dt. 16.06.2026 that my name is written in B.S.E.B. Class 10th educational documents as Raviraushani Kumari where as in Aadhar Card written as Ravi Raushani Kumari. Both names are same and one person. From now I shall be known as Ravi Raushani Kumari for all puposes

Raviraushani Kumari.

No. 796--I, Mukesh Kumar S/o Devendra Singh R/o village-Thera, P.O.-Jalalpur, P.S.-Warisaliganj, Distt.-Nawada, Bihar-805130 do hereby şolemnly affirm and déclaré as per aff. No.-1556 dt. 20.03.26 that my name is written in my daughter Jyoti Kumari's CBSE class 10th all educational documents and class 11th and 12th and all semester of graduation from Banasthali Vidyapith as Mukesh Singh. In Aadhar card written as Mukesh Kumar. Both names are same and one person. From now I will be knwon as Mukesh Kuamr for all purposes.

Mukesh Kumar.

No. 797--I, ANITA DEVI, W/o- Raj Kumar Ray, R/o- Ganw- Jethuli, Post:- Kacchi Dargah, Fatwah, Patna, Bihar- 803201. Do hereby solemnly affirm and declare that in my son's (SAURAV KUMAR) Aadhar card his name is mentioned as SOURABH KUMAR. But, in his birth certificate as well as in his marksheet of class 10^{th} (CBSE) his name is mentioned as SAURAV KUMAR. Here, both the names SAURAV KUMAR and SAURAV KUMAR belong to the names of my same son. And, from now in his future he will be known as **SAURAV KUMAR** for all his legal purposes.

Affidavit no.-2394, Date;- 09.04.2026

ANITA DEVI.

No. 799--I, Sarthak S/o Dharampal Jha R/o 403B Jagmanoshree Garden Vednagar Rukunpura, Bailey Road, Patna, Bihar-800014 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 3797 dt. 24.06.2026 that my name is written in Aadhar Card, Pan Card and edcational documents as Sarthak. After adding Surname Jha, Now I will be known as Sarthak Jha for all purposes.

Sarthak.

No. 800--I, Ayush, S/o Satyendra Kumar Daradh, R/o Baksi Maidan, Daradh Lane, P.S.- Chowk, P.O.- Begampur, Dist- Patna, Bihar, Pin Code- 800009, do hereby solemnly and declare as per Affidavit No.2838, dated 16.05.2026 that my name is written in all educational and other documents as Ayush. After adding surname*' Sinha'* I shall be known as *Ayush Sinha* for all purposes.

Ayush.

No. 802--I, Pramod Kumar S/o Late Nand Lal Ray R/o Vill-Gangajal, P.O-Rajapaker, P.S.-Rajapaker, Distt.-Vaishali (Bihar) do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-480 dt. 13.02.2026 that my name is mentioned in my son's CBSE Matriculation Passed Examination Certificate, Marksheet and Admit Card as Pramod Ray which is wrong. My correct name is Pramod Kumar. Both names are same and one person. From now I will be known as Pramod Kumar for all purposes.

Pramod Kumar.

No. 803—I, Vijay Shekhar Mantu alias Veejay S Mantu, S/o- Late Raghubansh Pandey, R/o- Dhanauti Sultanpur, PS- Derni, Chhapra, Saran, Bihar-841202. Do hererby solemnly affirm and declare that in my educational documents my name is mentioned as VIJAY SHEKHAR MANTU. And, in my Aadhar as well as in my PAN card my name is mentioned as VEEJAY S MANTU. Now, I want to change my title from MANTU with PANDEY. Hence, in this way my name becomes VIJAY SHEKHAR PANDEY. Here, all these names belongs to the names of the same person. And, from now in my future I will be known as **VIJAY SHEKHAR PANDEY** for all my legal purposes.

Affidavit no-3360, Date: - 09/06/26.

Vijay Shekhar Mantu.

No. 830--I, Anita wife of Baleshwar Singh resident of 203 Jaishree Complex Nageshwar Colony Patna 1 vide affidavit no 1318 dated fifth May 2026 of Executive Magistrate of Patna Sadar Subdivision do here by declare that both names Anita and Bibha Singh refer tö one and same person and now I will be known as only Anita.

Anita.

सं० 830——मैं, अनिता पति बालेश्वर सिंह निवासी 203 जयश्री कॉम्प्लेक्स नागेश्वर कॉलोनी पटना 1, कार्यपालक दंडाधिकारी पटना अनुमंडल के शपथ पत्र संख्या 1318 दिनांक 5 मई 2026 के अनुसार घोषित करती हूं कि अनिता एवं बिभा सिंह दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं और अब मै केवल अनिता नाम से जानी जाउंगी।

अनिता।

No. 833--I, Pathak Roshan Kewal S/o- Kewal Jatadhar Pathak, R/o- Ward No.- 10, Village- Mosidha, P.O+P.S.- Choraut, Distt- Sitamarhi. Bihar- 843319 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. – 394, dt. 19.01.2026 that my name is written in my educational documents as Pathak Roshan Kewal whereas in Aadhar Card written. as Roshan Kewal Pathak. Both names are same and one person. From Now I will be known as Pathak Roshan Kewal for all purposes.

Pathak Roshan Kewal.

No. 834--I, Sudhir Kumar S/o Late Ram Lakhan Prasad, A-10, Bank of India Colony, West of A.G. Colony, Patna-800014 declare vide affidavit no. 2309 Dt. 28.07.2026 that my son name has been changed from “Sasmit” to “Sasmit Ved” for all future purposes.

Sudhir Kumar.

सं० 834—मैं, सुधीर कुमार, पिता स्व० रामलखन प्रसाद, A／10, बैंक ऑफ इंडिया कॉलोनी वेस्ट ऑफ ए०जी० कॉलोनी, पटना–800014 यह घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र का नाम ''सस्मित'' से बदल कर ''सस्मित वेद'' किया गया है। अब से सस्मित वेद नाम से ही जाना एवं पहचाना जायेगा। शपथ पत्र सं० 2309／28.07.2026

सुधीर कुमार।

सं० 835—मैं, रुकमिणी कुमारी (Rukmini Kumari) D/o- कृष्णनंदन यादव ग्राम पो. डफरपुर वार्ड 07, थाना नावकोठी, जिला बेगूसराय घोषणा करती हूं कि भूलवश आधार कार्ड में मेरा नाम Rukmani Kumari अंकित हो गया है । मेरा सही नाम Rukmini Kumari है। श.पं.सं. 5060/25.05.26

रुकमिणी कुमारी।

No. 836—I, hither to known as MANISH KUMAR, S/O RAMASHISH PANDEY, residing at Village Dhamshar, Saran, Bihar 841224 have changed my minor son name AVIHANT KUMAR Age 14 years, and shall hereafter be known as AVIYANT KUMAR. It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection. affdavit no. 3622 date 18.06.26.

MANISH KUMAR.

No. 837—I, Kumari Minki Sinha W/o Shashi Bhushan Kumar R/o Village+Post-Mankipur, P.S.-Kadirganj, Distt.-Patna, Bihar-804451 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 77 dt. 16.04:2026 that Juni Sinha is my daughter. Her name is written in her Aadhar Card as Zooni Kumari. In CBSE Class 10th education documents her name is mentioned as Juni sinha. Both names are same and one pèrson. From now she shall be known as Juni Sinha for all purposes.

Kumari Minki Sinha.

सं० 838—मैं, गीता देवी, पति विजय यादव, साकिन कबीरपुर, पोस्ट-पन्हेसा, थाना-शेखोपुर सराय, प्रखंड शेखोपुर सराय, जिला-शेखपुरा, पिन कोड-811103 राज्य बिहार की स्थायी निवासी हूं। यह शपथपूर्वक घोषणा करती हूं कि संजीव कुमार (Sanjeev Kumar) मेरा पुत्र है। उसके आधार कार्ड में उसको नाम गलतीवश साजीव कुमार (Sajiv Kumar) अंकित हो गया है, जबकि उसके सभी शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों, दस्तावेजों में उसका नाम संजीव कुमार (Sanjeev Kumar) अंकित है। अब मेरा पुत्र भविष्य में संजीव कुमार (Sanjeev Kumar) के नाम से जाना एवं पहचाना जायेगा। शपथ पत्र संख्या-11644 दिनांक 06.06.2026

गीता देवी।

No. 839—I, Rinpi Devi W/o Ajay Singh, R/o Village-Mahendrpur, P.S.-Nayagaon, Distt-Begusarai, Bihar-851129 do hereby declare that name of my daughter has been mentioned as Furti Kumari in her Aadhar Card. In Matriculation Certificate mentioned as Fruti Kumari. Both names are same and one person. From now she shall be known as Fruti Kumari for all purposes. Aff. No. 15739 dt. 25.06.2026

Rinpi Devi.

No. 840—I, Sidhant Kumar, S/o Chamaklal Sah, R/o village-Pratappur, P.O.-Belari, P.S.-Sambhuganj, Distt.-Banka, Bihar-813211 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-3814 dt. 25.06.26 that my name is written as Sidhant Kumar Gupta in my daughter Bhawana Arya's C.B.S.E. class 10th all educational documents. In my Aadhar card, Pan card my name is written as Sidhant Kumar. Both names are same and one person. From now I will be known as Sidhant Kumar for all purposes. Sidhant Kumar. Both names are same and one person. From now I will be known as Sidhant Kumar for all purposes.

Sidhant Kumar.

No. 841—I, Gulshan Devi, W/o Sidhant Kumar R/o village-Pratappur, P.O.-Belari, P.S.-Sambhuganj, Distt.-Banka, Bihar-813211 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-3813 dt. 25.06.26 that my name is written as Guriya Devi in my daughter Bhawana Arya's C.B.S.E. class 10th all educational documents. In my Aadhar card, Pan card my name is written as Gulshan Devi. Both names are same and one person. From now I shall be known as Gulshan Devi for all purposes.

Gulshan Devi.

सं० 857—**मैं शिवकान्त झा, पिता श्री उमाकांत झा, निवासी - श्री गजेन्द्र मोक्ष देव स्थान, दिव्यदेश, पो.-सोनपुर,थाना-सोनपुर, जिला-सारण-841101, बिहार शपथ पत्र सं. -5008, दिनांक 11.08.2026 द्वारा सूचित करता हूं कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्र में मेरा नाम शिवकान्त झा है। आधार कार्ड में स्वामी लक्ष्मणाचार्य दर्ज है। अब मैं सभी कार्य एवं उद्देश्यों हेतु स्वामी लक्ष्मणाचार्य (Swami Lakshmanacharya) के नाम से जाना व पहचाना जाऊंगा।**

शिवकान्त झा।

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद

अधिसूचनाएं
17 फरवरी 2026

सं० 2686——श्री राम जानकी मंदिर, ग्राम–रोहुआ आपुछ, पोस्ट वो थाना–मुशहरी, जिला–मुजफ्फरपुर पर्षद के अन्तर्गत निबंधित सार्वजनिक धार्मिक, प्राचीन न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या–2581 है।

इस न्यास से संबंधित आवेदन पत्र दिनांक 26.04.2025 ग्रामीणों द्वारा पर्षद में दाखिल कर यह आग्रह किया गया था कि विगत लगभग 20 वर्षो से इस मठ में किसी महंत की नियुक्ति नहीं हो पायी है, जिसके कारण मठ की लगभग 40–50 बीघा भूमि अतिक्रमण का शिकार हो चुकी है। इस मठ के पूर्व समिति के अधिकांश सदस्य दिवंगत हो चुके हैं और जो एक–दो सदस्य शेष हैं, वे पूर्णतः निष्क्रिय हो गए हैं तथा मठ के संचालन में उनकी कोई भूमिका नहीं रह गयी है। न्यास समिति पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक 263, दिनांक 23.05.2007 द्वारा पाँच वर्षो के लिए बनाया गया था, जिसका कार्यकाल भी समाप्त हो चुका है और स्थान रिक्त है। मठ की इस जटिल स्थिति को देखते हुए पूज्यपाद जगतगुरू स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज ने अपने अनन्य प्रिय शिष्य श्री दीनानाथ दास जी को राम जानकी मंदिर रोहुआ आपुछ उर्फ श्री राम जानकी मठ रोहुआ का महंत नियुक्त किए जाने का प्रस्ताव दिया है। सभी ग्रामवासी ने इस प्रस्ताव के आलोक में बैठक कर इस प्रस्ताव का समर्थन किया है।

उक्त परिस्थिति में न्यास के परिसम्पत्तियों की रक्षा, सुचारू प्रबंधन सुव्यवस्था तथा सम्यक विकास के लिए पूज्यपाद जगतगुरू स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज के शिष्य श्री दीनानाथ दास जी को श्री राम जानकी मंदिर, ग्राम–रोहुआ आपुछ, जिला–मुजफ्फरपुर का पर्षदीय पत्रांक 144, दिनांक 05.05.2025 द्वारा बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत अस्थायी न्यासधारी शर्तो पर नियुक्त किया गया है।

इस न्यास के अस्थायी न्यासधारी श्री दीनानाथ दास द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 17.02.2026 पर्षद में दाखिल कर अपने द्वारा किये गये कार्यो को देखते हुए न्यासधारी को स्थायी किये जाने का आग्रह किया है।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में श्री दीनानाथ दास के आवेदन को स्वीकार करते हुए उनके न्यासधारीता को निम्नाकित शर्तो के साथ स्थायी (नियमित) किया जाता है।

(i) न्यास की कोई सम्पत्ति हस्तांतरण, बदलैन, विक्रय, पट्टा, गिरवी पर देने या किसी प्रकार से अन्य संक्रमण आदि का अधिकार नहीं होगा अगर वे ऐसा करते हैं तो वह शून्य वो अवैध होगा।

(ii) वे न्यास की चल एवं अचल सम्पत्ति को, जो अधिग्रहीत व अतिक्रमित हो गई हो, मुक्त कराने हेतु आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करेंगे।

(iii) उक्त निर्देश के साथ की मंदिर तथा मंदिर की भूमि से होने वाली आय का शीघ्र और सही विवरण पर्षद को देंगे तथा मंदिर में क्या विकास का कार्य किया गया है उससे भी पर्षद को अवगत करायेंगे।

(iv) वे बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप–विधि में वर्णित सभी प्रावधानों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित करेंगे तथा वर्षिक आय–विवरण, बजट एवं देय शुल्क की राशि पर्षद को प्रत्येक वर्ष ससमय भेजेगें।

(v) वे न्यास परम्परा का पालन करेंगे।

NOTE:- राजस्व अभिलेख में मंदिर के सभी सम्पत्तियों का इन्द्राज मंदिर के नाम (श्री राम जानकी मंदिर, ग्राम–रोहुआ आपुछ, पोस्ट वो थाना–मुशहरी, जिला–मुजफ्फरपुर) पर ही रहेगा, किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर नामान्तरण अथवा संशोधन नहीं होगा।

NOTE:- न्यासधारी/महंत को कोई भी सम्पत्ति का हस्तान्तरण, बदलैन, बिक्रय तथा पट्टा पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा अगर वे ऐसा करते है तो शुन्य वो अवैध होगा। साथ ही न्यासधारी/महंत का यह प्रथम कर्त्तव्य होगा कि न्यास की सभी भू–सम्पत्तियों का जमाबंदी न्यास के नाम से कराकर पर्षद को सूचित करेगें। इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतेगें।

आदेश से,
प्रो0 रणवीर नन्दन,अध्यक्ष।

——————

10 मार्च 2026

सं० 2819––**श्री राम जानकी मंदिर, ग्राम– रूहेलागंज, पत्रालय– लालबाग, थाना– ललितनारायण मिथिला विश्वविद्यालय, जिला– दरभंगा,** बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा– 34 के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है। इसकी निबंधन सं0– 1977/67 है।

उक्त मंदिर की सम्पत्तियों की सुरक्षा, संरक्षण, सुव्यवस्था एवं सम्यक् विकास हेतु पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक– 4015, दिनांक– 27/02/2023 द्वारा ग्यारह सदस्यीय न्यास समिति का गठन अस्थायी रूप से एक वर्ष के लिए किया गया था। उक्त न्यास समिति द्वारा वर्ष 2023–24 में किये गये विकासात्मक कार्यों के आलोक में पर्षदीय आदेश ज्ञापांक– 1557, दिनांक– 28/08/2024 द्वारा न्यास समिति का कार्यकाल 05 वर्ष तक के लिए या अगले आदेश तक, जो पुर्व हो, के लिए मान्यता दी गयी थी।

उक्त न्यास समिति के सदस्यों में आपसी सामंजस्य का अभाव है तथा समिति के अध्यक्ष द्वारा समिति के सचिव पर आरोप लगाया गया है। कुछ सदस्यों द्वारा त्याग–पत्र भी दिया गया है। ऐसी परिस्थिति में पर्षदीय पत्रांक– 2492, दिनांक– 03/12/2024 द्वारा जिलाधिकारी, दरभंगा से CWJC No.- 17322/2022 में दिनांक– 23/07/2024 को माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में न्यास समिति गठन हेतु नामों की मांग की गयी। तत्पश्चात जिलाधिकारी, दरभंगा के पत्र दिनांक– 04/02/2025 एवं स्मार–पत्र दिनांक– 11/06/2025 के आलोक में पर्षदीय पत्रांक– 394, दिनांक– 03/07/2025 द्वारा पुनः जिलाधिकारी, दरभंगा से CWJC No.- 17322/2022 एवं न्यास पत्रक वर्ष 1922 के अनुरूप ही न्यास समिति गठन हेतु सुढ़ी समाज के नामों का प्रस्ताव पर्षद को शीघ्र उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया। इसके आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, दरभंगा का प्रतिवेदन पत्रांक– 279, दिनांक– 29/01/2026 के माध्यम से 11 नामों की सूची प्राप्त हुयी।

अतः बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की **अधिनियम की धारा– 32** में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो **बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की उप विधि सं0– 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है** , का प्रयोग करते हुए ''**श्री राम जानकी मंदिर, ग्राम– रूहेलागंज, पत्रालय– लालबाग, थाना– ललितनारायण मिथिला विश्वविद्यालय, जिला– दरभंगा**'' के सुचारू प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक् विकास हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति का गठन किया जाता है एवं प्राप्त प्रस्ताव को मान्यता प्रदान की जाती है।

योजना

1.बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की **अधिनियम की धारा– 32** के तहत निरूपित इस योजना का नाम ''**श्री राम जानकी मंदिर न्यास योजना, ग्राम– रूहेलागंज, पत्रालय– लालबाग, थाना– ललितनारायण मिथिला विश्वविद्यालय, जिला– दरभंगा**'' होगा और इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम ''**श्री राम जानकी मंदिर न्यास समिति, ग्राम– रूहेलागंज, पत्रालय– लालबाग, थाना– ललितनारायण मिथिला विश्वविद्यालय, जिला– दरभंगा**'' होगी, जिसमें न्यास की समग्र चल–अचल सम्पत्तियों के संधारण एवं संचालन का अधिकार रहेगा।

2.यह कि स्थायी न्यास समिति, सभी प्रकार के आय एवं व्यय, जो न्यास से संबंधित होंगे, पर्षद को नियमित रूप से प्रत्येक तीन माह पर प्रेषित करेगी तथा पर्षद इसकी प्रत्येक तीन माह पर समीक्षा भी करेगी।

3.यह कि न्यास समिति का दायित्व होगा कि न्यास का स्थायी खाता, राष्ट्रीयकृत बैंक में संधारित करेगी, जहां सभी दान की राशि को खाता में जमा किया जायेगा तथा खाता का संचालन संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

4.यह कि सभी प्रकार के वित्तीय लेन–देन केवल संयुक्त हस्ताक्षर से संपादित किये जायेंगे, जिसमें न्यास समिति के अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष होंगे। यदि बैंक खाता में अध्यक्ष अद्योहस्ताक्षरी नहीं है, तो न्यास समिति प्रत्येक माह में अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष बैंक खाता का अद्यतन विवरण के साथ–साथ सभी प्रकार के आय–व्यय का विवरण जमा करेगी।

5.यह कि न्यास समिति के सदस्य शपथ–पत्र के माध्यम से निम्न तथ्यों की घोषणा पर्षद के समक्ष करेंगे।

(I) यह कि वे मंदिर के क्षेत्र के निवासी हैं।

(II) यह कि उनका कोई अपराधिक इतिहास नहीं है।

(III) यह कि शपथ–पत्र में लिखित बातें असत्य पायी जाती है, तो ऐसे सदस्य को पर्षद द्वारा न्यास समिति से विमुक्त किया जायेगा और विधिनुसार कार्रवाई की जायेगी।

6.न्यास समिति न्यास के सुचारू प्रबंधन के साथ–साथ पूजा–अर्चना, राग–भोग, अतिथि–सेवा आदि समस्त धार्मिक आचारों का सम्यक संचालन सुनिश्चित करेगी।

7.न्यास की समग्र आय के लेखा का सम्यक् संधारण किया जायेगा और समीप के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यास के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार राशि निकासी कर व्यय किया जायेगा।

8.**न्यास के खाते का संचालन दो सदस्यों (अध्यक्ष / सचिव एवं कोषाध्यक्ष) के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।**

9.दाताओं से प्राप्त होने वाले राशि के लिए उन्हें रसीद दी जायेगी और सत्यापित पंजी में दर्ज कर उन्हें बैंक में जमा की जायेगी।

10. मंदिर/मठ परिसर में जगह–जगह भेंटपात्र रखे जायेंगे, जिसमें दान एवं चढ़ावे की राशि डाली जायेगी, जो निर्धारित तिथि को न्यास समिति द्वारा अधिकृत दो सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी और सही गणना कर प्राप्त राशि को शीघ्र बैंक में जमा किया जायेगा।
11. मठ परिसर में स्वच्छता एवं पवित्रता का विशेष ख्याल रखा जायेगा और मठ की गरिमा को अक्षुण रखा जायेगा। महिला दर्शनार्थियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जायेगा।
12. न्यास समिति द्वारा मठ/मन्दिर के पुजारी की अर्हता का निर्धारण एवं नियुक्ति की जायेगी एवं उनके वेतन का भुगतान न्यास कोष से होगा।
13. न्यास समिति यह सुनिश्चित करेगी कि मठ/मन्दिर परिसर में भक्तों का शोषण नहीं हो और पूजा के नाम पर उनसे जबरन बसूली नहीं हो।
14. न्यास समिति, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप विधि में वर्णित नियमों का अनुपालन करते हुए बजट, आय–व्यय विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्यवृत आदि का पर्षद को सम्यक प्रेषण करेगी।
15. न्यास समिति के कोई सदस्य यदि न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे या न्यास की परिसम्पत्तियों से प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ उठाते हुए पाये जायेंगे अथवा आपराधिक पृष्टभूमि के होंगे, तो उनके सदस्य बने रहने की अहर्ता समाप्त हो जायेगी।
16. न्यास की आय–व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।
17. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव प्रत्येक तिमाही में बैठक बुलायेंगे। बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष करेंगे और निर्णय बहुमत के आधार पर होगा। अध्यक्ष की अनुपलब्धता की स्थिति में उपाध्यक्ष के द्वारा बैठक की अध्यक्षता की जायेगी।
18. सचिव, समिति द्वारा पारित प्रस्तावों/निर्णयों को मूर्त रूप देने के लिए उत्तरदायी होंगे और कोषाध्यक्ष आय–व्यय के लेखा संधारण एवं पर्यवेक्षण के उत्तरदायी होंगे।
19. जिन विषयों का उल्लेख इस योजना में नहीं हो और मठ के हित में आवश्यक हो, तो उन बिन्दुओं पर न्यास समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के पास अनुमोदन हेतु भेजेगी।
20. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।
21. न्यास समिति, न्यास स्थल पर किये जाने वाले विकास कार्य के संबंध में बैठक द्वारा प्रस्ताव पारित करेगी तथा किसी भी भौतिक संरचना के निर्माण से पूर्व बैठक में पारित प्रस्ताव को पर्षद के अनुमोदनार्थ प्रेषित करेगी। पर्षद से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरांत कोई भी निर्माण कार्य किया जायेगा।

उपर्युक्त योजना को मूर्त्तरूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति 05 वर्ष के लिए गठित की जाती है:–

1. अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, जिला– दरभंगा– पदेन अध्यक्ष
2. श्री राम बाबू महतो (सेवानिवृत, भारत सरकार) पिता– स्व० सोने लाल महतो, रूहेलागंज कपुरी द्वार, पो०– लालबाग, था०– ललित नारायण मिथिला वि०वि०, जिला– दरभंगा– उपाध्यक्ष
3. श्री अभिषेक कुमार पिता– श्री सुरेश महतो, रूहेलागंज, पो०– लालबाग, था०– ललित नारायण मिथिला वि०वि०, जिला– दरभंगा– उपाध्यक्ष
4. श्री दिपक कुमार खर्गा पिता– श्री पवन कुमार खर्गा, रूहेलागंज कपुरी द्वार, पो०– लालबाग, था०– ललित नारायण मिथिला वि०वि०, जिला– दरभंगा– सचिव
5. श्री मनीष राउत पिता– स्व० दोरिक राउत, रूहेलागंज कपुरी द्वार, पो०– लालबाग, था०– ललित नारायण मिथिला वि०वि०, जिला– दरभंगा– कोषाध्यक्ष
6. श्री अभिषेक कुमार पिता– स्व० संजय खर्गा, रूहेलागंज कपुरी द्वार, पो०– लालबाग, था०– ललित नारायण मिथिला वि०वि०, जिला– दरभंगा– सदस्य
7. श्री शौरव कुमार चौधरी पिता– स्व० संतोष चौधरी, रूहेलागंज, पो०– लालबाग, था०– ललित नारायण मिथिला वि०वि०, जिला– दरभंगा– सदस्य

8. श्री उमेश राउत पिता– स्व० रामु राउत, अलीनगर, पो०– लालबाग, था०– ललित नारायण मिथिला वि०वि०, जिला– दरभंगा– सदस्य
9. श्री राजीव कुमार पुर्वे पिता– श्री राम नारायण पुर्वे, रूहेलागंज कपुरी द्वार, पो०– लालबाग, था०– ललित नारायण मिथिला वि०वि०, जिला– दरभंगा– सदस्य
10. श्री संजय कुमार पुर्वे पिता– स्व० बैजनाथ पुर्वे, निम पोखर केदराबाद, पो०– लालबाग, था०– ललित नारायण मिथिला वि०वि०, जिला– दरभंगा– सदस्य
11. श्री वीरेन्द्र कुमार महासेठ पिता– स्व० गोपी महासेठ, सुदरपुर बापू चौक, पो०– लालबाग, था०– ललित नारायण मिथिला वि०वि०, जिला– दरभंगा – सदस्य

उक्त आदेश के आलोक में **राजस्व अभिलेख में "श्री राम जानकी मंदिर, ग्राम– रूहेलागंज, पत्रालय– लालबाग, थाना– ललितनारायण मिथिला विश्वविद्यालय, जिला– दरभंगा"** के नाम में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

नोटः–न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य को न्यास की किसी भी सम्पत्ति/भूमि का हस्तान्तरण/बदलैन/विक्रय/पट्टा/लीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा तथा न्यास समिति के विरूद्ध विधि–सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

आदेश से,
प्रो० रणवीर नंदन, अध्यक्ष।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 21—571+10-डी0टी0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in